

इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के अनुसारएन.पी.वी. की गणना

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के अनपरा/पिपरी रेंज के अन्तर्गत मैसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिविजन) को भारत सरकार के आदेश संख्या 8-10/94-एफ.सी. दिनांक 14.10.96 एवं उ0प्र0 राज्य सरकार के आदेश संख्या 6619/14-2-97-145(233)/94 दिनांक 22 मई, 1998 द्वारा रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट, रेणुकूट तक वर्ष 1966 से 38.2591 हेक्टेयर वन भूमि पर निर्मित 132 के.बी. विद्युत पारेषण लाईन के पट्टे का 25 वर्षों के लिये (दिनांक 09.02.1991 से 08.02.2016 तक) उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त 38.2591 हेक्टेयर वनभूमि को पुनः 25 वर्षों हेतु (दिनांक 09.02.1916 से 08.02.2041 तक) लीज का नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी एन.पी.वी. गणना इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के अनुसार निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	प्रस्तावित वनभूमि का विवरण	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के तहत आने वाली अनपरा व पिपरी रेंज की कुल वन भूमि।	38.2591
2	एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि रू0 8.87 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से।	रू0 3,39,35,821.70
	कुल धनराशि	रू0 3,39,35,822.00
	(रूपया तीन करोड़ उनतालीस लाख पैंतीस हजार आठ सौ बाईस मात्र)	



क्षेत्रिय वनाधिकारी

पिपरी रेंज

रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र



सहायक वन सारक्षक/प्रभारी

अनपरा रेंज-

रेणुकूट वन प्रभाग-सोनभद्र



प्रभागीय वनाधिकारी,
प्रभागीय वनसंरक्षक,
रेणुकूट वन प्रभाग,
रेणुकूट, सोनभद्र